

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।
उपस्थित:- अरुण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 210/9/2009

सरकार-----अभियोजन,
बनाम

(1)- प्रदीप पुत्र रसीद
(2)-सतेन्द्र पुत्र बृजपाल, समस्त, निवासीगण, ग्राम-भभीसा, थाना-कांधला, जिला-मु०नगर, हाल
जिला शामली -----अभियुक्तगण

धारा-323, 325, 504, 506 भा.द.सं
मु.अ.सं.- 31/2007
थाना-कांधला, जिला-शामली।

निर्णय

पुलिस थाना-कांधला के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 31/2007, अंतर्गत धारा- 323, 325, 504, 506 भा.द.सं. में अभियुक्तगण प्रदीप पुत्र रसीद व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम भभीसा का निवासी है। प्रार्थी का नाम युनुस पुत्र रसीद है प्रार्थी अपने गांव में ठेली पर सब्जी बेचता है। आज दिनांक 29.01.07 सांय 5.00 बजे जब प्रार्थी सब्जी बेच रहा था तो प्रदीप पुत्र सोमपाल व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल ने मेरे से सब्जी खरीदी। जब मैंने पेसे मांगे तो मेरे साथ वे दोनों गाली-गलौच करने लगे। मैंने उनसे गाली देने के लिए मना किया तो उन दोनों ने मुझे मारापीटा और सतेन्द्र ने मुझे पकड़ लिया तथा प्रदीप ने मेरे जबड़े पर कट्टे की बट से मेरे जबड़े पर वार कर मेरे दो दांत तोड़ दिये व दो दांत मेरे हिल रहे हैं, जब मैं चिल्लाया तो मुझे अल्ला मेहर पुत्र कासिम व सलीम पुत्र बुन्दु ने मुझे किसी तरह उन दोनों से बचाया। प्रदीप व सतेन्द्र ने मुझे कहा कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे। प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्तगण प्रदीप, व सतेन्द्र के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्ष युनुस पुत्र रसीद को बतौर पी०डब्लू० 1, साक्षी अल्ला मेहर पुत्र कासिम को बतौर पी०डब्लू० 2, तथा साक्षी सलीम पुत्र बुन्दू को बतौर पी०डब्लू० 3 के रूप में परीक्षित कराया गया। वादी के द्वारा अन्य गवाहों को उन्मोचित किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिट किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया और अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि प्रार्थी ग्राम भभीसा का निवासी है। प्रार्थी का नाम युनुस पुत्र रसीद है प्रार्थी अपने गांव में ठेली पर सब्जी बेचता है। आज दिनांक 29.01.07 सांय 5.00 बजे जब प्रार्थी सब्जी बेच रहा था तो प्रदीप पुत्र सोमपाल व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल ने मेरे से सब्जी खरीदी। जब मैंने पेसे मांगे तो मेरे साथ वे दोनों गाली-गलौच करने लगे। मैंने उनसे गाली देने के लिए मना किया तो उन दोनों ने मुझे मारापीटा और सतेन्द्र ने मुझे पकड़ लिया तथा प्रदीप ने मेरे जबड़े पर कट्टे की बट से मेरे जबड़े पर वार कर मेरे दो दांत तोड़ दिये व दो दांत मेरे हिल रहे हैं, जब मैं चिल्लाया तो मुझे अल्ला मेहर पुत्र कासिम व सलीम पुत्र बुन्दु ने मुझे किसी तरह उन दोनों से बचाया। प्रदीप व सतेन्द्र ने मुझे कहा कि अगर थाने में रिपोर्ट की तो तुझे व तेरे परिवार को जान से मार देंगे।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1.के रूप में यूनुस पुत्र रसीद को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं ठेले पर सब्जी बेचने का काम करता हूँ। दिनांक 29.01.2007, में शाम के पांच बजे मैं गांव भभीसा में सब्जी बेच रहा था। गांव के काफी लोग मुझसे सब्जी खरीद रहे थे, जब मैं उन्हें सब्जी देकर चलने लगा तो मेरा पैर फिसल गया और जमीन पर मेरा मुंह लगा, जिससे मेरे दांत टूट गये थे। मौके पर काफी आदमी इकट्ठा हो गये थे। भीड़ में से किसी ने एक कागज पर कुछ तहरीर लिखकर मेरी डॉक्टरी मुआयना के लिए मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मेरे मुंह में ज्यादा दर्द होने की वजह से मैं अपने होश हवास में नहीं था। मैंने तहरीर में लिखी इबारत को पढ़ा नहीं था। मैं नहीं बता सकता कि तहरीर में प्रदीप व सतेन्द्र का नाम किस प्रकार लिखा गया। मेरे साथ हाजिर अदालत मुल्जिम प्रदीप व सतेन्द्र ने मारपीट नहीं की थी व मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाई थी न ही माँ-बहन की गालियां दी थी, न मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मैंने अपनी चोट की डॉक्टरी सरकारी अस्पताल कांधला में करायी थी।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2.के रूप में अल्ला मेहर पुत्र कासिम को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना अब से करीब 14 वर्ष पहले की है। शाम के 5.00 बजे ग्राम भभीसा की है। मेरा भतीजा यूनुस गांव में ठेले पर अपनी सब्जी बेच रहा था। ठेला चलाते समय पैर फिसल गया, जिससे उसका दांत टूट गया था। मौके पर काफी आदमी इकट्ठा हो गये थे। मैं भी भीड़ देखकर मौके पर गया था देखा कि मेरे भतीजे यूनुस के चोट लगी है, जिसे मैं डॉक्टरी कराने ले गया था। हाजिर अदालत मुल्जिम प्रदीप व सतेन्द्र ने मेरे भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही कट्टे की बट मारी, न उसके दांत तोड़े, न ही माँ-बहन की गालियां दी, न जान से मारने की धमकी दी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है और अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अभियोजन में जिरह की अनुमति दी जाती है।

पी० डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान के किसी डर दबाव या लालच की वजह से मैं उक्त मुल्जिमान के पक्ष में बयान दे रहा हूँ। यह कहना सही है कि मुल्जिमान का आपस में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 3.के रूप में सलीम पुत्र बुन्दू को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से 12 वर्ष पहले की है। शाम के 5.00 बज रहे थे मैं प्रधान के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। जब मैं चौक से गुजरा तो मैंने देखा कि हमारे गांव का यूनुस जो ठेले पर सब्जी बेचने का काम करता है। ठेले से फिसलकर सड़क पर गिरने से यूनुस के मुंह पर चोट लग गयी, जिससे उसके दो दांत टूट गये

थे। वहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गये थे, मैं भी खड़ा होकर देखने लगा था। गांव के ही कुछ आदमी यूनूस को डाक्टर के पास लेकर गये थे। मेरे सामने प्रदीप पुत्र सोमपाल, व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल ग्राम भभीसा ने यूनूस के साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही कट्टे की वट मारकर उसके दांत तोड़े, न उसे माँ-बहन की गालियां दी, न ही जान से मारने की धमकी दी। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अभियोजन में जिरह की अनुमति दी जाती है।

पी०डब्लू० 3 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि मुल्जिमान का आपस में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि समझौते हो जाने की वजह से मैं अदालत में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। साक्षी पी०डब्लू० 1, पी०डब्लू० 2, तथा पी०डब्लू० 3, ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाहों के बयानों के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण प्रदीप पुत्र रसीद व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल को अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अभियुक्तगण प्रदीप पुत्र रसीद व सतेन्द्र पुत्र बृजपाल को अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनकी जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: - 18.09.2021

(अरुण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: - 18.09.2021

(अरुण सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शामली।